संख्या– २००२ /पचास–यु0क0–2019–43(विविध)/2014

प्रेषित,

डिम्पल वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

1080
16-12-19

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2019

विषय– विवेकानन्द यूथ एवार्ड प्रदान किए जाने हेतु मंगल दलों का सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकरण की बाध्यता एवं न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्यता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–890/चार–08/यु0क0/2019, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 तथा पत्र संख्या–1070/चार–08/यु0क0/2019, दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में विवेकानन्द यूथ एवार्ड प्रदान किये जाने हेतु अधिकाधिक युवक एवं महिला मंगल दलों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–681/पचास–यु0क0– 2019–43 (विविध)/2014, दिनांक 14 जून, 2019 में संशोधन करते हुए निम्न प्रावधान किये जाते है :–

क्रम सं0	वर्तमान व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1–	प्रत्येक युवक/महिला मंगल दल को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।	प्रत्येक युवक/महिला मंगल दल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। परन्तु मंगल दल स्वेच्छा से स्वयंसेवी संस्थाओं की भांति सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

1722

उ0नि0 (श्रीमती सोनल)
16/12/2019

श्रीमती शाहिदा
17/12

2—	दलों के चयन के लिए निर्धारित समिति युवक एवं महिला मंगल दलों हेतु निर्धारित उक्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता के आधार पर मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठ दल का चयन करेगी और खण्ड स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड का प्रावधान होने पर श्रेष्ठ दलों को पुरस्कार वितरित करके चयन समिति की कार्यवाही की प्रति सहित जनपद स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड देने के लिए श्रेष्ठता क्रम में एक युवक एवं एक महिला मंगल दल का नाम जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी। एवार्ड प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 40 होंगे।	युवक तथा महिला मंगल दलों को विकास खण्ड स्तर पर विवेकानन्द यूथ एवार्ड प्रदान किये जाने हेतु न्यूनतम अर्हकारी 40 अंक की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

3- इस सम्बन्ध में शेष प्रावधान समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों व निर्देशों के क्रम में पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।

भवदीया,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या— २००२ (1)/पचास—यु0क0—2019—५3(विविध)/2014 —— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त जिलाधिकारी ,
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी ,
3. समस्त उपनिदेशक, युवा कल्याण विभाग,
4. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,
5. गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनुसचिव।